**भारत सरकार**

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1225**

**दिनांक 16 दिसम्‍बर, 2013 को उत्तर के लिए**

**आंतरिक शिकायत समितियों की स्थापना**

**1225. श्री एस. थंगावेलु:**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) : क्या राष्ट्रीय महिला आयोग (एन.सी. डब्ल्यू.) ने हाल ही में सरकार से अपने विभागों, संस्थाओं और स्वायत्त निकायों से सक्रिय आंतरिक शिकायत समितियों की स्थापना करने को कहा है;

(ख) : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) : क्या एन.सी.डब्ल्यू. ने यह कहा है कि यह सुनिश्चित करने की अत्यन्त आवश्यकता है कि महिलाएं कार्यस्थल पर बिना किसी लैंगिक उत्पीड़न के काम कर सकें;

(घ) : क्या एन.सी.डब्ल्यू. को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या में वृद्धि हो रही है; और

(ङ) : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती कृष्णा तीरथ महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(क) से (ग): विशाखा निर्णय में निर्धारित उच्‍चतम न्‍यायालय के दिशा-निर्देशों को आगे बढ़ाते हुए, देश में प्रत्‍येक सरकारी विभाग/संस्‍था/स्‍वायत्‍त निकाय में आन्‍तरिक शिकायत समितियों के गठन पर बल दिया है।

(घ) और (ड.): गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राष्‍ट्रीय महिला आयोग के पास कार्यस्‍थलों पर महिलाओं के यौन-उत्‍पीड़न की शिकायतों के पंजीकरण की संख्‍या वृद्धि का रूझान दर्शाती है । गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कार्यस्‍थलों पर महिलाओं के यौन-उत्‍पीड़न के लिए राष्‍ट्रीय महिला आयोग के पास पंजीकृत शिकायतों के राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्रवार आंकड़े **अनुलग्‍नक** में दिए गए हैं ।

**\*\*\*\*\***